<u>न्यायालयः सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं (राज 0)</u>

पीठासीन अधिकारीः– **सुनील कुमार पंचोली,**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांक 25 अगस्त, 2026

सेशन प्रकरण संख्याः– 52/2024 (CIS N. 63/2024)

राज०राज्य बनाम मुकेश कुमार

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 56/2024 पुलिस थाना सदर झुंझुनूं

अपराध अंतर्गत धाराः– 376(2)(एन) व 450 भारतीय दण्ड संहिता

<u>भाग–प्रथम</u>

A

परिवादिया	हस्तगत प्रकरण लैंगिक अपराध से संबंधित है अतः प्रकरण की परिवादिया/पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने हेतु उसके नाम का उल्लेख निर्णय में नहीं किया जा रहा है।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक श्री रामावतार ढाका
अभियुक्त का नाम व पता	मुकेश कुमार पुत्र मूलचन्द, उम्र 26 वर्ष, निवासी अजाड़ी कलां, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज०)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री अशोक महला

B

अपराध की दिनांक	24.03.2024 एवं इससे पूर्व
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	27.03.2024
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	09.05.2024
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	17.10.2024
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	19.11.2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	21.08.2026
निर्णय दिनांक	**25.08.2026**
दण्डादेश की दिनांक	--

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	मुकेश कुमार	01.04.24	14.05.24	376(2)(एन),450 IPC	**दोषमुक्त**	--	--

<u>भाग–द्वितीय</u>

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची</u>

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
गवाह संख्या	नाम गवाह	विवरण
पी डब्ल्यू 1	पीड़िता	पीड़िता/परिवादिया

पी डब्ल्यू 2	बेबी धायल	पुलिसकर्मी
पी डब्ल्यू 3	रिंकु कुमार	पुलिसकर्मी
पी डब्ल्यू 4	राजेन्द्र प्रसाद	पुलिसकर्मी
पी डब्ल्यू 5	विकास कुमार	पुलिसकर्मी
पी डब्ल्यू 6	संदीप कुमार	पुलिसकर्मी
पी डब्ल्यू 7	राजेन्द्र	पीड़िता का पति
पी डब्ल्यू 8	श्रीराम	पीड़िता का जीजा
पी डब्ल्यू 9	डॉ० मधु वर्मा	चिकित्सक
पी डब्ल्यू 10	सुभाष चन्द्र	मालखाना प्रभारी
पी डब्ल्यू 11	डॉ० संजय कुमार	चिकित्सक
पी डब्ल्यू 12	दयाराम चौधरी	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी 3	नोटिस पीड़िता
04	प्रदर्श पी 4	फर्द जब्ती डीवीडी
05	प्रदर्श पी 5	फर्द जब्ती अण्डरवियर पीड़िता
06	प्रदर्श पी 6	सैक्स असाल्ट रिपोर्ट पीड़िता
07	प्रदर्श पी 7	आईडेंटिफिकेशन फार्म पीड़िता
08	प्रदर्श पी 8	नक्शा मौका घटनास्थल
09	प्रदर्श पी 9	न्यायालय आदेशिका
10	प्रदर्श पी 10	बयान धारा 164 द०प्र०सं० पीड़िता
11	प्रदर्श पी 11	प्रमाण पत्र धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम
12	प्रदर्श पी 12	पत्र थानाधिकारी
13	प्रदर्श पी 13	अग्रेषण पत्र
14	प्रदर्श पी 14	प्राप्ति रसीद एफएसएल

15	प्रदर्श पी 15 व 16	रोजनामचा रपट
16	प्रदर्श पी 17	फर्द जब्ती मोबाइल अभियुक्त
17	प्रदर्श पी 18	फर्द जब्ती अण्डरवियर अभियुक्त
18	प्रदर्श पी 19	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
19	प्रदर्श पी 20	तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल अभियुक्त
20	प्रदर्श पी 21	मालखाना रजिस्टर
21	प्रदर्श पी 22	सैक्स असाल्ट रिपोर्ट अभियुक्त
22	प्रदर्श पी 23	आईडेंटिफिकेशन फार्म अभियुक्त
23	प्रदर्श पी 24	प्रार्थना पत्र थानाधिकारी
24	प्रदर्श पी 25 से 27	फर्द इत्तला अभियुक्त

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्श डी 1	पुलिस बयान पी डब्ल्यू 1 पीड़िता

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्श सी 1	एफएसएल रिपोर्ट

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
-	-	–

1. हस्तगत प्रकरण लैंगिक अपराध से संबंधित है अतः प्रकरण की परिवादिया/पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने हेतु उसे निर्णय में "पीड़िता" से सम्बोधित किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27.03.2024 को परिवादिया पीड़िता द्वारा प्रदर्श पी 1 टाइपशुदा रिपोर्ट पुलिस थाना सदर झुंझुनूं पर इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि मुकेश कुमार पुत्र मूलचंद निवासी अजाड़ी कलां परिवादिया के पति के साथ मजदूरी पर जाता था और घर पर भी आना-जाना करता था। पिछले तीन वर्षों से वह घर पर आता और परिवादिया के कमरे में चला जाता था और परिवादिया से धीरे-धीरे जानकारी बढ़ा ली और परिवादिया को आंगन बाड़ी में सहायिका के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर परिवादिया के साथ पिछले तीन वर्षों से दुष्कर्म कर रहा है व परिवादिया का अपने मोबाइल से विडियो भी बना लिया व बार-बार उक्त विडियो वायरल करने के नाम

पर दुष्कर्म करता रहा। दिनांक 24.03.2024 को परिवादिया घर पर थी व उसका पति राजेन्द्र होली पर बाहर गांव गया हुआ था कि रात्रि 1:00 एएम पर मुकेश कुमार परिवादिया के घर पर आया व विडियो वायरल करने के नाम पर परिवादिया के साथ दुष्कर्म किया। परिवादिया डरी सहमी हुयी थी इसलिए दूसरों को बता नहीं सकी इत्यादि।

3. इस पर पुलिस थाना सदर झुंझुनूं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान पीड़िता का मेडिकल करवाया गया तथा गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये एवं तत्पश्चात अन्य आवश्यक नियमित अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 450 व 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से कालान्तर में प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. दिनांक 17.10.2024 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376(2)(एन) व 450 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाकर अभियुक्त का विचारण किया गया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 1 व 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाए गए एवं पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

6. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया जिसमें उसने गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया परन्तु कोई साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं की गयी तथा दस्तावेजी साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेज प्रदर्शित करवाया गया।

7. विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य सन्देह से परे साबित है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.03.2024 की रात्रि को एवं इससे पूर्व विभिन्न अवसरों पर पीड़िता के रिहायशी

घर में प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार किया एवं पीड़िता को आंगन बाड़ी में सहायिका के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर लैंगिक संभोग कर बलात्संग किया एवं उसके अश्लील फोटोज व विडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर अनेक अवसरों पर पीड़िता के साथ अनेक बार उसकी सहमति व इच्छा के विरूद्ध जबरन लैंगिक संभोग कर बलात्संग किया। उनका तर्क है कि पीड़िता पी डब्ल्यू 1 ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 24.03.2024 को उसका पति बाहर गया हुआ था व बच्चे सो रहे थे तब अभियुक्त उसके घर आया और उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया। पीड़िता ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त ने उसे आंगन बाड़ी में सहायिका पद पर नौकरी दिलाने की कहकर उसके साथ छः–सात महीने तक बलात्कार किया था। उनका तर्क है कि अभियोजन पक्ष पत्रावली पर आयी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जावे।

8. इसका विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक 24.03.2024 को रात्रि एक बजे अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जाना बताया है तथा उस समय अपने पति का बाहर गया होना बताया है जबकि पीड़िता के पति पी डब्ल्यू 7 राजेन्द्र ने दिनांक 24.03.2024 को रात्रि ग्यारह बजे ही घर वापस आ जाना बताया है, ऐसी स्थिति में पीड़िता के पति की उपस्थिति में अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने का तथ्य माने जाने योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि पीड़िता ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने न्यायालय कथनों में दिनांक 24.03.2024 को अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया जाना बताया है परन्तु पीड़िता ने अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी 10 में दिनांक 24.03.2024 को अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करना व अपनी बेटी के जाग जाने के कारण वहां से अभियुक्त का भाग जाना कथन किया है। उनका तर्क है कि पीड़िता ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा उसके साथ पिछले तीन वर्षों से दुष्कर्म करना अंकित किया है जबकि अपने न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध

बयानों में अभियुक्त द्वारा उसके साथ छः–सात महीनों से बलात्कार किया जाना कथन किया है। पीड़िता की साक्ष्य में गंभीर एवं तात्विक विरोधाभास है। उनका तर्क है कि पीड़िता ने घटना के संबंध में सर्वप्रथम अपने जीजा श्रीराम को बताना कथन किया है जबकि श्रीराम पी डब्ल्यू 8 ने उसे घटना के बारे में दिनांक 27.03.2024 को पीड़िता एवं उसके पति द्वारा बताया जाना कथन किया है। उनका तर्क है कि पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके विडियो व फोटो बनाया जाना एवं विडियो वायरल करने की धमकी देना कथन किया है परन्तु प्रकरण में कोई विडियो व फोटो अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा अनुसंधान अधिकारी ने भी यह स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान में यह नहीं आया कि आरोपी ने कोई फोटो व विडियो वायरल किया हो। उनका तर्क है कि पी डब्ल्यू 8 श्रीराम थाने में घटना की रिपोर्ट हाथ से लिखकर देना बताता है जबकि घटना की जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज करवायी गयी है वह टाइपशुदा है। उनका तर्क है कि चिकित्सक के अनुसार पीड़िता के शरीर व प्राइवेट पार्ट्स पर कोई संघर्ष के निशान, चोट रंगड़क, सूजन नहीं पायी गयी है। उनका तर्क है कि डीएनए रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के रक्त नमूने में पायी गयी डीएनए प्रोफाइल का मिलान पीड़िता के अण्डरवियर पर पायी गयी डीएनए प्रोफाइल से नहीं होना पाया गया है। उनका तर्क है कि पीड़िता की साक्ष्य में गंभीर तात्विक विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

9. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता हैः-

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.03.2024 को रात्रि को एवं इससे पूर्व पीड़िता के रिहायशी घर में प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया एवं पीड़िता के साथ उसकी सहमति व इच्छा के विरूद्ध जबरन लैंगिक संभोग कर बलात्संग किया एवं इससे पूर्व भी विभिन्न अवसरों पर पीड़िता के साथ उसकी सहमति व इच्छा के विरूद्ध अनेक बार जबरन लैंगिक संभोग कर बलात्संग किया ?''

10. इस विचारणीय बिन्दु को सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पी डब्ल्यू 1 पीड़िता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसका पति मजदूरी करता है। वह अभियुक्त मुकेश को जानती है जो उनका पड़ोसी है। मुकेश उसके पति के साथ मजदूरी पर जाता था जिससे अभियुक्त का उनके घर आना–जाना था। मुकेश ने उसे आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर नौकरी लगाने की कही। उसके बाद मुकेश ने उनके घर आना–जाना कर दिया था और वह उसके कमरे के अंदर भी आता था, उसके बाद मुकेश ने उसके साथ गलत काम किया था। मुकेश ने उसके साथ बलात्कार किया था जो छह–सात महीने तक किया था। मुकेश ने उसका विडियो व फोटो भी बनाई थी जिसका उसे पता नहीं चला था। मुकेश ने उसका विडियो वायरल करने की धमकी दी थी इसलिए उसने डर के कारण किसी को मुकेश के बारे में नहीं बताया था। दिनांक 24.03.2024 को होली की रात को उसका पति बाहर गया हुआ था व घर पर वह व उसके बच्चे सोये हुए थे, तब मुकेश उसके घर पर आया था और उसके साथ बलात्कार करके चला गया था। मुकेश ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया था। उसने घटना के बारे में अपने जीजा को बताया था और थाने पर जाकर उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने पहले शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई थी। गवाह ने रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 व एफआईआर प्रदर्श पी 2 होना, पुलिस द्वारा उसे नोटिस प्रदर्श पी 3 दिया जाना, पुलिस द्वारा उसके बयान डीवीडी जरिए फर्द प्रदर्श पी 4 जब्त किया जाना, उसकी घटना के समय पहनी हुयी अण्डरवियर जरिए फर्द प्रदर्श पी 5 जब्त किया जाना, उसके बलात्कार संबंधी रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 होना, अभियुक्त द्वारा उसके साथ जहां पर जबरदस्ती बलात्कार किया था उस स्थान का नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी 8 बनाया जाना, उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयान प्रदर्श पी 10 होना कथन किया है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने कथन किया है कि होली की रात उसका पति घर पर बारह-एक बजे आया था, उस समय उसने पति को घटना बाबत नहीं बताया था। उसने घटना के बाबत जिस जीजा को

बताना बताया है वह उसका सगा जीजा नहीं है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के बाबत पहले जीजा को बताया था और उसके बाद अपने पति को बताया था। वह चौथी कक्षा तक पढी है, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास होती है। उसका पति रिपोर्ट देने साथ नहीं गया था। उसने रिपोर्ट देने के बाद घटना के बाबत अपने पति को बताया था। उसने अपने पति को विडियो वायरल करने की धमकी की बात भी नहीं बतायी थी। छः-सात महीने से मुकेश उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, यह बात भी उसने किसी को नहीं बतायी थी। होली की रात को भी मुकेश ने उनके घर आकर उसके साथ बलात्कार किया था, उसने यह बात पुलिस बयान व मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयान में बतायी थी किन्तु प्रदर्श पी 10 में नहीं लिखी है।

11. पी डब्ल्यू 7 राजेन्द्र पीड़िता का पति है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 24.03.2024 को वह होलिका दहन के लिए गया हुआ था, तब घर पर उसकी पत्नी व उसके बच्चे थे। वह रात को करीब ग्यारह बजे वापस घर आया था तब उसकी पत्नी रो रही थी। उसने उससे पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दिनांक 27.03.2024 को उसकी पत्नी पीड़िता ने उसे दोबारा पूछने पर बताया कि उसके साथ मुकेश कुमार पुत्र मूलचन्द ने दुष्कर्म किया है जो रात को दस बजे की बात बताई थी। उसकी पत्नी ने यह भी बताया था कि वह उसके साथ पांच–छह महीने से दुष्कर्म कर रहा था व उसका विडियो बना रखा था जिसके बारे में कहता था कि वह वायरल कर देगा, इसलिए डर के कारण उसकी पत्नी ने उसे पहले नहीं बताया था। उसने घटना के बारे में अपने धर्म के भाई श्रीराम को बताया था। पुलिस ने उसके व श्रीराम के सामने पीड़िता की अण्डरवियर जरिए फर्द प्रदर्श पी 5 जब्तकर सील मोहर की थी तथा पीड़िता की निशादेही से नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 8 तैयार किया था। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने कथन किया है कि मुकेश उसके साथ मजदूरी करता था। दिनांक 24.03.2024 को मुकेश को उसके घर में आते-जाते उसने नहीं देखा था। उसने कोई घटना नहीं देखी। उसने जो बातें बतायी है

वो सुनी-सुनायी बतायी है। वह एफआईआर दर्ज करवाने अपनी पत्नी के साथ गया था। मुकेश व उसके पास-पास में ही घर है।

12. पी डब्ल्यू 8 श्रीराम पीड़िता का जीजा है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी पत्नी सुमन ने पीड़िता को धर्म की बहन बना रखा है। पीड़िता उसे धर्म का जीजा मानती है। वह पीड़िता के घर आता–जाता रहता है। दिनांक 27.03.2024 को पीड़िता व उसके पति का उसके पास फोन आया था जिन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी मुकेश ने पीड़िता के साथ गलत काम किया है जो होली के दिन रात को दस बजे किया था, वह छह–सात महीने से करता आ रहा था। वह पीड़िता के साथ थाने में रिपोर्ट देने गया था। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, प्रदर्श पी 2 एफआईआर, फर्द जब्ती अण्डरवियर पीड़िता प्रदर्श पी 5 है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने कथन किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी। उसके सामने कोई घटना नहीं हुयी। वह मुकेश को नहीं जानता है। उन्होंने थाने में जो रिपोर्ट दी थी वो हाथ से लिखकर दी थी।

13. पी डब्ल्यू 9 डॉ० मधु वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.03.2024 को वह राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनूं के कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित थी। उस रोज पीड़िता का बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना किया। गवाह ने परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 होना तथा एफएसएल परीक्षण हेतु सील्डशुदा सैम्पल लिए जाकर पुलिस के सुपुर्द करना कथन किया है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने कथन किया है कि पीड़िता के शरीर पर व प्राइवेट पार्ट्स पर कोई संघर्ष के निशान, चोट, रगड़क, लालिमा या सूजन नहीं थी।

14. पी डब्ल्यू 11 डॉ० संजय कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 02.04.2024 को वह राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनूं में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने पुलिस थाना सदर झुंझुनूं की तहरीर पर मुकेश कुमार पुत्र मूलचंद का उसकी सहमति से पुरुषत्व संबंधी परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 तैयार की। उसकी राय के अनुसार, ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि वह नपुंसक है, रिसेंटली

इंटरकोर्स का पता लगाने व डीएनए जांच के लिए सैम्पल सीलमोहर कर पुलिस के सुपुर्द कर दिए थे। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त के शरीर पर कहीं कोई चोट, रगड़क या अन्य कोई निशान नहीं थे। जबरन संभोग में ऐसी चोट आने की संभावना रहती है।

15. पी डब्ल्यू 2 बेबी धायल पुलिसकर्मी है जिसने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.03.2024 को वह पुलिस थाना सदर झुंझुनूं में महिला एचसी के पद पर पदस्थापित थी। उस रोज थानाधिकारी दयाराम चौधरी के समक्ष पीड़िता ने एक टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पेश की थी। परिवादिया महिला होने से थानाधिकारी के आदेश पर उसके द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित की गई थी तथा पीड़िता को रिपोर्ट पढ़कर सुनाई थी जिसने सुन–समझकर सही मानकर कार्यवाही पुलिस के बाद हस्ताक्षर किए थे। उसने महिला एचसी होने के कारण प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के निर्देशानुसार प्रकरण की पीड़िता के धारा 161 सीआरपीसी के बयान रिकॉर्ड कर अनुसंधान अधिकारी के सुपुर्द किए थे, जिनकी विडियोग्राफी भी की गई थी जिसकी डीवीडी बिना किसी परिवर्तन के तैयार कर अनुसंधान अधिकारी को दी थी जिसके बाबत धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 11 है। उक्त डीवीडी को अनुसंधान अधिकारी ने चलाकर देखकर जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 के जब्त कर सील मोहर किया था।

16. पी डब्ल्यू 6 विकास कुमार पुलिसकर्मी है जिसने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.03.2024 को अनुसंधान अधिकारी दयाराम चौधरी को बेबी धायल एचसी ने पीड़िता के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की डीवीडी पेश की थी जिसको जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 जब्त कर सील मोहर किया गया था। दिनांक 01.04.2024 को पीड़िता ने बलात्कार स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी 8 बनवाया था। उसी रोज अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त मुकेश को जरिये फर्द प्रदर्श पी 19 के गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय जामा तलाशी में मिला मोबाइल फोन मिला जिसे जरिये फर्द प्रदर्श पी 17 जब्त कर सील मोहर किया था। दिनांक 02.04.2024 को अभियुक्त मुकेश ने अपनी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के तहत अनुसंधान अधिकारी को परिवादिया के

मकान में जिस स्थान पर उसने परिवादिया के साथ बलात्कार किया था, उस स्थान का तस्दीक नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी 20 तैयार करवाया था।

17. पी डब्ल्यू 4 राजेन्द्र प्रसाद पुलिसकर्मी है जिसने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.04.2024 को अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त मुकेश से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन ओप्पो कंपनी जब्त कर सील मोहर किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 17 है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त मुकेश से उसकी घटना के समय पहनी हुई अण्डरवियर जब्तकर सील मोहर की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 18 है।

18. पी डब्ल्यू 5 संदीप कुमार पुलिसकर्मी है जिसने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.04.2024 को अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त मुकेश को जरिये फर्द प्रदर्श पी 19 गिरफ्तार किया था। दिनांक 02.04.2024 को अभियुक्त मुकेश ने अपनी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के तहत अनुसंधान अधिकारी को परिवादिया के मकान में जिस स्थान पर उसने परिवादिया के साथ बलात्कार किया था, उस स्थान का तस्दीक नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी 20 तैयार करवाया था।

19. पी डब्ल्यू 10 सुभाष चन्द्र तत्कालीन मालखाना प्रभारी पुलिस थाना सदर झुंझुनूं है जिसने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.03.2024 को अनुसंधान अधिकारी ने मालखाना में एक सफेद कपड़े की सील्डशुदा थैली मार्क डी जमा करवाई थी। दिनांक 28.03.2024 को अनुसंधान अधिकारी ने एक सील्डशुदा थैली मार्क ए जमा करवाई थी। दिनांक 31.03.2024 को शम्भूदयाल कांस्टेबल ने राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनूं से जरिये डाक प्राप्त होने पर एक सफेद रंग का सील्डशुदा लिफाफा लाकर उसे जमा करवाया था। दिनांक 01.04.2024 को अनुसंधान अधिकारी ने दो सील्डशुदा थैली मार्क सी व बी जमा करवाई थी। दिनांक 08.04.2024 को सुभाष चन्द्र एएसआई ने राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनूं से जरिये डाक प्राप्त होने पर एक सफेद रंग का सील्डशुदा लिफाफा लाकर उसे जमा करवाया था। दिनांक 08.04.2024 को थानाधिकारी के आदेशानुसार रिंकू कांस्टेबल को चार सील्डशुदा पैकेट, अग्रेषण पत्र जारी करवाने व एफएसएल

में जमा करवाने हेतु सुपुर्द किए थे जिसने नियमानुसार जमा करवाकर रसीद एफएसएल उसके समक्ष लाकर पेश की थी। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 21 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 21 ए है। माल जब तक उसके पास रहा, सील्डशुदा हालत में रहा था।

20. पी डब्ल्यू 3 रिंकु कुमार पुलिसकर्मी है जिसने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08.04.2024 को थानाधिकारी के आदेशानुसार मालखाना प्रभारी से चार सील्डशुदा पैकेट, पुलिस अधीक्षक से अग्रेषण पत्र जारी करवाने व एफएसएल में जमा करवाने हेतु प्राप्त किए थे। उसने दिनांक 08.04.2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अग्रेषण पत्र जारी करवाया था व एफएसएल जयपुर में पहुंचकर दिनांक 09.04.2024 को उक्त चार सील्डशुदा पैकेट मय अग्रेषण पत्र की प्रति व कागजात जमा करवाये व एफएसएल रसीद प्राप्त कर वापसी थाना आकर मालखाना प्रभारी के सुपुर्द कर दी। थानाधिकारी का पत्र प्रदर्श पी 12, अग्रेषण पत्र की थानाधिकारी की प्रति प्रदर्श पी 13, एफएसएल रसीद प्रदर्श पी 14, उसकी रवानगी व वापसी की रोजनामचा रपटें प्रदर्श पी 15 व 16 है। माल जब तक उसके पास रहा, सील्डशुदा हालत में रहा था।

21. पी डब्ल्यू 12 दयाराम चौधरी प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने स्वयं द्वारा अनुसंधान संबंधी किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए कथन किया है कि दिनांक 27.03.2024 को वह पुलिस थाना सदर झुंझुनूं में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसके समक्ष पीड़िता ने अपने जीजा श्रीराम के साथ थाने पर उपस्थित आकर टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पेश की थी जिसके आधार पर प्रदर्श पी 2 चाक एफआईआर कायम की गई। उसने अनुसंधान के दौरान पीड़िता का बलात्कार संबंधी परीक्षण करवाया व उसके बेबी धायल से बयान लेखबद्ध करवाये जाकर विडियोग्राफी शामिल पत्रावली की। गवाहान श्रीराम व राजेन्द्र के उनके कथनानुसार बयान लेखबद्ध किए गए। पीड़िता की वक्त घटना पहनी हुई अण्डरवियर जब्त की गई थी। पीड़िता के धारा 164 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध करवाये गये व नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल तैयार किया गया। अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने पर

उसे गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त ने अपनी इत्तला के आधार पर अपने फोन से खुद के व पीड़िता के नग्न फोटो जब्त करवाये। अभियुक्त की वक्त घटना पहनी अण्डरवियर जब्त की गई व अभियुक्त का पुरुषत्व संबंधी मेडिकल करवाया गया। अभियुक्त ने अपनी इत्तला के आधार पर तस्दीक नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल तैयार करवाया। माल को मालखाना में जमा करवाया गया व नियमानुसार परीक्षण हेतु एफएसएल में जमा करवाया गया। गवाह ने तत्संबंधी फर्दात को प्रदर्शित करवाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाना कथन किया है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पीड़िता के साथ उसका पति नहीं आया था। पीड़िता का पति उसके साथ ही रहता है। पीड़िता व श्रीराम के घर पास–पास नहीं है, वे अलग–अलग गांवों के है। उसने मोबाइल फोन एफएसएल नहीं भेजा। उसने मोबाइल फोन की फोटोज आदि की जांच नहीं करवायी। रिपोर्ट देरी से दर्ज हुयी। इससे पहले पीड़िता की कभी कोई शिकायत नहीं आयी थी। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज होने के तीन साल पहले से अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार करना बताया था किन्तु दिनांक 01.03.2023 से पूर्व की कोई फोटो या विडियो नहीं मिले जिससे यह साबित होता हो कि उसे ब्लैकमेल किया गया हो। उसने फोटो व विडियो के मेटाडेटा की कोई जांच नहीं करवायी।

22. प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पीड़िता द्वारा अपने जीजा श्रीराम के साथ दिनांक 27.03.2024 को दर्ज करवायी गयी है जिसमें पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा पीड़िता को आंगन बाड़ी में सहायिका के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर उसके साथ पिछले तीन वर्षों से दुष्कर्म किया जाना एवं मोबाइल से विडियो बनाकर कर बार–बार उक्त विडियो वायरल करने के नाम पर दुष्कर्म करना अंकित किया है। पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि दिनांक 24.03.2024 को पीड़िता घर पर थी व उसका पति होली पर बाहर गांव गया हुआ था कि रात्रि एक बजे अभियुक्त ने पीड़िता के घर आकर विडियो वायरल करने के नाम पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

23. हस्तगत प्रकरण बलात्संग के अपराध से संबंधित है जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी पीड़िता पी डब्ल्यू 1 है जिसकी साक्ष्य का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। पीड़िता ने अपने न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में दिनांक 24.03.2024 को होली की रात को अपने पति का बाहर गया हुआ होना व स्वयं व बच्चों का घर पर सोये हुए होना एवं अभियुक्त मुकेश द्वारा आकर उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार करके चले जाना कथन किया है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उक्त घटना कितने बजे की थी यह कथन नहीं किया है परन्तु पीड़िता ने स्वयं द्वारा दी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त घटना दिनांक 24.03.2024 को रात्रि एक बजे की होना बताया है और उस समय अपने पति का बाहर गांव में गया होना बताया है। पीड़िता ने अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन प्रदर्श पी 10 में भी दिनांक 24.03.2024 को अभियुक्त का रात को एक बजे उसके घर आना व उस समय अपने पति का घर नहीं होना कथन किया है जबकि पी डब्ल्यू 7 राजेन्द्र जो पीड़िता का पति है उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 24.03.2024 को वह होलिका दहन के लिए गया हुआ था, वह रात को करीब ग्यारह बजे घर वापस आ गया था। इस प्रकार दिनांक 24.03.2024 को घटना के समय पीड़िता के पति के घर पर होने या न होने के संबंध में पीड़िता एवं उसके पति की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है।

24. पीड़िता ने स्वयं द्वारा दर्ज करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक 24.03.2024 को रात्रि एक बजे अभियुक्त का उसके घर पर आना और उसके साथ दुष्कर्म करना अंकित किया है तथा अपने न्यायालय बयानों में भी पीड़िता ने दिनांक 24.03.2024 को रात्रि को अभियुक्त द्वारा उसके घर पर आकर उसके साथ जबरन बलात्संग किया जाना कथन किया है परन्तु पीड़िता ने अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी 10 में दिनांक 24.03.2024 को अभियुक्त का रात एक बजे उसके घर पर आना और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करना लेकिन पीड़िता की बेटी के जाग जाने पर अभियुक्त का भाग जाना कथन किया है। धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पीड़िता ने दिनांक 24.03.2024 को अभियुक्त द्वारा केवल बलात्कार करने की कोशिश करना कथन

किया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने न्यायालय बयानों में उसने दिनांक 24.03.2024 को अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जाना कथन किया है जो एक गंभीर विरोधाभास है।

25. पीड़िता द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अभियुक्त द्वारा पीड़िता को आंगन बाड़ी में सहायिका के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर पीड़िता के साथ तीन वर्षों से दुष्कर्म किया जाना अंकित किया है तथा पीड़िता ने अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में अभियुक्त द्वारा तीन साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना तथा मना करने पर आगंन बाड़ी में सहायिका के पद पर नौकरी दिलाने की कहना कथन किया है जबकि पीड़िता ने अपने न्यायालय बयानों में अभियुक्त द्वारा आंगन बाड़ी में सहायिका के पद पर नौकरी लगाने की कहकर छः–सात महीने से उसके साथ बलात्कार किया जाना कथन किया है जो भी एक तात्विक एवं गंभीर विरोधाभास है।

26. पीड़िता ने उसके साथ हुई बलात्कार की घटना के संबंध में सर्वप्रथम अपने जीजा पी डब्ल्यू 8 श्रीराम को बताया जाना कथन किया है जबकि पीड़िता का पति उसके साथ ही निवास कर रहा था और यदि अभियुक्त द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित की गयी थी तो उसे सर्वप्रथम अपने पति को इस संबंध में बताना चाहिए था परन्तु पीड़िता द्वारा इस बाबत अपने पति को नहीं बताया गया। पी डब्ल्यू 7 राजेन्द्र ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक 27.03.2024 को उसकी पत्नी पीड़िता ने उसे बताया कि अभियुक्त मुकेश कुमार ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसने घटना के बारे में अपने धर्म भाई श्रीराम को बताया। पी डब्ल्यू 8 श्रीराम ने भी अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक 27.03.2024 को पीड़िता व उसके पति का उसके पास फोन आया था जिन्होंने बताया कि मुकेश ने पीड़िता के साथ गलत काम किया है। एक तरफ तो पीड़िता अपने साथ हुयी घटना के संबंध में सर्वप्रथम पी डब्ल्यू 8 श्रीराम को बताना कथन करती है दूसरी तरफ पी डब्ल्यू 7 राजेन्द्र पीड़िता का पति उसे पीड़िता द्वारा घटना के बारे में बताये जाने पर पी डब्ल्यू 8 श्रीराम को बताया जाना कथन करता है तथा पी डब्ल्यू 8 श्रीराम भी उसे पीड़िता के पति व पीड़िता द्वारा

उसे घटना के संबंध में बताया जाना कथन करता है। ऐसी स्थिति में पीड़िता की साक्ष्य में इस तथ्य पर भी गंभीर विरोधाभास है कि उसके द्वारा सर्वप्रथम उसके साथ हुयी घटना के संबंध में किसको बताया गया।

27. पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसका विडियो वायरल करने की धमकी दिया जाना कथन किया है। इस संबंध में पी डब्ल्यू 12 दयाराम चौधरी अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि उसके अनुसंधान में यह नहीं आया कि आरोपी ने कोई फोटो या विडियो वायरल किया हो। हालांकि प्रकरण में अभियुक्त का मोबाइल फोन जब्त किया गया है तथा अनुसंधान अधिकारी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त की इत्तला के आधार पर अभियुक्त के फोन से अभियुक्त व पीड़िता के नग्न फोटो जब्त किये थे परन्तु प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने यह कथन किया है कि उसने फोटो व विडियो की कोई जांच नहीं करवायी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त व पीड़िता के कोई फोटो व विडियो को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को उसका विडियो वायरल करने की धमकी दी गयी हो।

28. हस्तगत प्रकरण में पीड़िता द्वारा जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अपने जीजा श्रीराम के साथ पुलिस थाना गुढागौडजी में दर्ज करवायी गयी है वह टाइपशुदा है। प्रदर्श पी 1 पर कार्यवाही पुलिस में भी यह अंकित किया गया है कि टाइपशुदा रिपोर्ट पीड़िता ने मय अपने जीजा श्रीराम के उपस्थित होकर प्रस्तुत की। पी डब्ल्यू 8 श्रीराम ने भी अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह पीड़िता के साथ थाने में रिपोर्ट देने गया था परन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उन्होंने थाने में जो रिपोर्ट दी थी वो हाथ से लिखकर दी थी। इस प्रकार पी डब्ल्यू 8 श्रीराम के अनुसार उनके द्वारा थाने पर जो रिपोर्ट दी गयी थी व हस्तलिखित थी जबकि पीड़िता द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज करवायी गयी है वह टाइपशुदा है। अतः यह तथ्य भी अभियोजन कहानी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

29. प्रकरण में अभियुक्त व पीड़िता के शरीर से एफ.एस.एल. व डी.एन.ए. जाँच हेतु नमूने लिये गये, जो जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गये जिनकी जांच रिपोर्ट अभियोजन की ओर से प्रदर्श सी1 प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार बाद जांच पीड़िता के अण्डरवियर पर मानव वीर्य पाया गया है परन्तु अभियुक्त के रक्त नमूने में पायी गयी डीएनए प्रोफाइल का मिलान पीड़िता के अण्डरवियर पर पायी गयी डीएनए प्रोफाइल से नहीं होना पाया गया है। अतः एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श सी1 से भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि पीड़िता के अण्डरवियर पर पाया गया मानव वीर्य अभियुक्त का ही हो। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श सी1 से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

30. इस प्रकार पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य के समग्र विश्लेषणानुसार पीड़िता जो प्रकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी है उसकी साक्ष्य में इस तथ्य पर गंभीर विरोधाभास है कि अभियुक्त मुकेश कुमार द्वारा दिनांक 24.03.2024 को पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया अथवा नहीं। स्वयं पीड़िता ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने न्यायालय बयानों में अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.03.2024 को उसके साथ बलात्कार किया जाना कथन किया है परन्तु पीड़िता ने ही अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी 10 में अभियुक्त का दिनांक 24.03.2024 को रात्रि को उसके घर आना और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करना परन्तु पीड़िता की बेटी के जाग जाने पर अभियुक्त का भाग जाना कथन किया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.03.2024 को पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में स्वयं पीड़िता के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त पीड़िता ने दिनांक 24.03.2024 को अभियुक्त का रात्रि एक बजे उसके घर आना उस समय पीड़िता के पति का बाहर गया हुआ होना कथन किया है जबकि पीड़िता के पति पी डब्ल्यू 7 राजेन्द्र ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह दिनांक 24.03.2024 को रात्रि ग्यारह बजे ही घर वापस आ गया था। इस प्रकार दिनांक 24.03.2024 को पीड़िता के पति के घर पर उपस्थित होने के समय के संबंध में पीड़िता एवं उसके पति की साक्ष्य में

विरोधाभास है। यदि पीड़िता के पति के अनुसार वह दिनांक 24.03.2024 को रात्रि ग्यारह बजे ही घर पर वापस आ गया था तो ऐसी स्थिति में पीड़िता के पति की उपस्थिति में अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया जाना संभव नहीं माना जा सकता क्योंकि यदि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जाता तो पीड़िता द्वारा उसका विरोध किया जाता उस स्थिति में पीड़िता के पति के वहां पर उपस्थित होने पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

31. पीड़िता ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में अभियुक्त द्वारा तीन साल से उसके साथ बलात्कार किया जाना कथन किया है जबकि अपने न्यायालय बयानों में पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा छः–सात महीने से उसके साथ बलात्कार किया जाना कथन किया है। पीड़िता ने घटना के संबंध में सर्वप्रथम अपने जीजा पी डब्ल्यू 8 श्रीराम को बताया जाना कथन किया है जबकि पीड़िता का पति उसके साथ ही रहता था ऐसी स्थिति में यदि पीड़िता के साथ कोई घटना कारित हुयी तो उसे सर्वप्रथम इस संबंध में अपने पति को बताना चाहिए। पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा तीन वर्ष से उसके साथ दुष्कर्म किया जाना कथन किया है। पीड़िता एक 27 वर्षीय पूर्ण परिपक्व महिला है ऐसी स्थिति में यदि उसके साथ अभियुक्त द्वारा यदि तीन वर्ष से दुष्कर्म किया जा रहा था तो उसे इस संबंध में अपने पति एवं परिजनों को बताना चाहिए परन्तु उसके द्वारा किसी को भी इस संबंध में नहीं बताया गया। पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके फोटो व विडियो वायरल करने की धमकी देना बताया है परन्तु प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी किसी विडियो या फोटोग्राफ को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं करवाया गया है तथा अनुसंधान अधिकारी पी डब्ल्यू 12 दयाराम ने यह स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान में यह नहीं आया कि अभियुक्त ने कोई फोटो या विडियो वायरल किया हो। इसके अतिरिक्त पीड़िता ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा उसे या उसके परिजनों को मारने या उनके साथ कोई घटना कारित करने की कोई धमकी दी गयी हो। ऐसी स्थिति में यदि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ कोई घटना कारित की गयी थी तो उसे इस

संबंध में अपने पति व परिजनों को बताना चाहिए था परन्तु पीड़िता द्वारा किसी को भी इस बाबत नहीं बताया जाना पीड़िता की साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श सी1 से भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि पीड़िता के अण्डरवियर पर पाया गया मानव वीर्य अभियुक्त का ही हो। अतः अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श सी1 से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध तब तक साबित नहीं माना जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष उक्त आरोप को सन्देह से परे साबित न कर दे। यदि अभियोजन पक्ष की कहानी में तनिक भी विरोधाभास एवं सन्देह है तो उस सन्देह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

32. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषणानुसार अभियोजन पक्ष यह तथ्य सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.03.2024 को रात्रि को एवं इससे पूर्व पीड़िता के रिहायशी घर में प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया एवं पीड़िता के साथ उसकी सहमति व इच्छा के विरूद्ध जबरन लैंगिक संभोग कर बलात्संग किया एवं इससे पूर्व भी विभिन्न अवसरों पर पीड़िता के साथ उसकी सहमति व इच्छा के विरूद्ध अनेक बार जबरन लैंगिक संभोग कर बलात्संग किया। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध से दोषमुक्ति का अधिकारी है।

<u>आदेश</u>

33. परिणामतः अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र मूलचन्द, निवासी अजाड़ी कलां, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा **376(2) (एन)** एवं **450** भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

34. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत– मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे। अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

35. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत पच्चीस हजार रूपये की एक प्रतिभूति एवं इसी राशि का निजी बंधपत्र छः माह की अवधि के लिए पेश कर तस्दीक करावें कि इस निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की सूरत में नोटिस प्राप्त होने पर वह स्वयं अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

36. निर्णय आज दिनांक **25.08.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.25 16:44:51 IST